राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

67वीं बैठक दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 के कार्य बिन्दुओं से संबंधित कृत कार्यवाही

क्र.सं	कार्य बिन्दु	कृत कार्यवाही
1.	**शासन से संबंधित कार्य बिंदु :** **क)** उत्तराखंड में लम्बित मनरेगा कर्मियों को Aadhar Based Payment System में लिंक करने हेतु pendency के लिए शासन स्तर से NPCI को पत्र लिखा जाना अपेक्षित है।	**शासन से संबंधित कार्य बिंदु :** **क)** शासन द्वारा पत्र संख्या 695/208/ एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस./2017-18 दिनांक 04 जनवरी, 2019 द्वारा NPCI को संदर्भित विषय में आवश्यक कार्यवाही हेतु आग्रह किया गया था, जिसके अनुक्रम में NPCI द्वारा शासन को सूचित किया गया है कि नरेगा सॉफ्ट में अंकित ऐसे समस्त खाते जिनमें आधार लिंक किया गया है, को Aadhar Based Payment System के तहत लाया जा चुका है। इस संदर्भ में शासन द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को भी उपर्युक्त पत्र द्वारा निर्देशित किया गया है कि ग्राम्य विकास के क्षेत्रीय कार्मिक संबंधित बैंक शाखा में जाकर इन खातों को आधार से मैप करवाएं, जिसके लिए यू.आई.डी.आई.ए. द्वारा जारी प्रारुप पर लाभार्थी को अपना mandate देना होगा।
	ख-i) उद्यान तथा कृषि विभाग द्वारा Uttarakhand Investors' Summit में इनवेस्टर्स के साथ उद्यान एवं कृषि से संबंधित विभिन्न गतिविधियों हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किए गए हैं। अत: उद्यान एवं कृषि विभाग इनवेस्टर्स की सूची बैंकों को उपलब्ध कराएं तथा बैंकों से इनका वित्तपोषण कराने में सहयोग करें।	**ख-i)** उद्यान विभाग द्वारा Uttarakhand Investors' Summit में इनवेस्टर्स के साथ विभिन्न गतिविधियों हेतु हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के तहत संबंधित निवेशकों की सूचना उपलब्ध करा दी गयी है, जिसे सभी बैंकों को प्रेषित कर दिया गया है तथा कृषि विभाग से अभी सूचना अपेक्षित है।
	ख-ii) कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण की अपेक्षित प्रगति दर्ज करने हेतु उद्यान एवं कृषि विभाग द्वारा क्षेत्रवार व्यवहार्य कार्ययोजना बनाकर बैंकों को उपलब्ध करायी जानी है।	**ख-ii)** विभागों द्वारा वांछित कार्ययोजना उपलब्ध करायी जानी प्रतीक्षित है।
	ग) एन.यू.एल.एम., एन.आर.एल.एम. एवं पर्यटन विभाग से संबंधित सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति की रिपोर्टिंग एवं अनुवर्ती कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों द्वारा ऑन-लाइन पोर्टल बनाया जाना अपेक्षित है।	**ग)** एन.यू.एल.एम., एन.आर.एल.एम. एवं पर्यटन विभाग से संबंधित सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति की रिपोर्टिंग एवं अनुवर्ती कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों द्वारा ऑन-लाइन पोर्टल बनाए जाना अभी प्रतीक्षित है।

<table>
<tr><td></td><td>घ) सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाएं यथा एन.आर.एल.एम. / वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना / होम स्टे / स्पेशल कम्पोनेंट प्लान आदि में वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष संबंधित विभाग (ग्राम्य विकास विभाग / पर्यटन विभाग / समाज कल्याण) विभाग पर्याप्त ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित करें।</td><td>घ) सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत दिसम्बर, 2018 त्रैमास में लक्ष्यों के सापेक्ष निम्नवत ऋण आवेदन पत्र संबंधित विभागों द्वारा बैंकों को प्रेषित किए गए हैं।
<table>
<tr><th>योजना</th><th>वार्षिक लक्ष्य</th><th>प्रेषित आवेदन पत्र</th></tr>
<tr><td>एन.आर.एल.एम.</td><td>* 5641</td><td>3666</td></tr>
<tr><td>वी.सी.एस.जी.पी.एस.वाई.</td><td>400</td><td>276</td></tr>
<tr><td>होम स्टे</td><td>2000</td><td>186</td></tr>
<tr><td>एस.सी.पी.</td><td>2013</td><td>1668</td></tr>
</table>
* लक्ष्य संशोधित माह दिसम्बर, 2018 (पूर्व लक्ष्य 4,319)</td></tr>
<tr><td></td><td>ङ-i) आरसेटी संस्थानों के बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर सितम्बर, 2018 तक व्यय की गयी लम्बित राशि रु. 115.03 लाख की प्रतिपूर्ति संबंधित आरसेटी संस्थानों को किया जाना ग्राम्य विकास विभाग से अपेक्षित है।</td><td>ङ-i) आरसेटी संस्थानों के बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर सितम्बर, 2018 तक लम्बित राशि ₹ 115.03 लाख के सापेक्ष ₹ 56.94 लाख की प्रतिपूर्ति संबंधित आरसेटी संस्थानों को दिसम्बर, 2018 त्रैमास तक ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कर दी गयी है तथा ₹ 58.09 लाख की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित है।</td></tr>
<tr><td></td><td>ङ-ii) आरसेटी संस्थान देहरादून के लिए भवन निर्माण हेतु आबंटित / चयनित भूमि, जो विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक अवरोधों के कारण अनुकूल नहीं हैं, के स्थान पर नयी भूमि का आबंटन किया जाना शासन / प्रशासन से अपेक्षित है।</td><td>ङ-ii) इस संबंध में शासन / प्रशासन से सूचना प्रतीक्षित है।</td></tr>
<tr><td></td><td>च) पर्यटन विभाग द्वारा दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना के अंतर्गत होम स्टे से संबंधित संशोधित नियमावली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध करायी जानी है।</td><td>च) पर्यटन विभाग द्वारा दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना के अंतर्गत “दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना प्रथम संशोधन नियमावली 2018” समस्त बैंकों को उनकी अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दी गयी है। बैंकों द्वारा योजनांतर्गत ऋण वितरण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। बैंकों द्वारा दिसम्बर, 2018 त्रैमास तक तक 13 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।</td></tr>
<tr><td></td><td>छ) मॉडल लैण्ड लीजिंग एक्ट 2016 के अनुरुप उत्तराखंड राज्य के लिए लैण्ड लीज एक्ट बनाए जाने की कार्यवाही कृषि विभाग द्वारा की जानी है।</td><td>छ) भारत सरकार के मॉडल लैण्ड लीजिंग एक्ट 2016 के अनुरुप राज्य के लिए एक पृथक लैण्ड लीजिंग एक्ट बनाया जाना प्रतीक्षित है।</td></tr>
</table>

	ज) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आगामी खरीफ एवं रबी फसलों हेतु बीमा अधिसूचना फसली सीजन शुरु होने से पहले तथा कम से कम एक साल के लिए जारी किया जाना ।	**ज)** संबंधित पर निर्णय आगामी फसल की अधिसूचना के समय पर लिया जाना है।
2.	**<u>भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कार्य बिंदु :</u>** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवगत कराया गया है कि 66वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक में माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड ने सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27 अगस्त, 2018 को हुई बैठक में Farmers Suicide के कारणों से कृषि ऋण माफी के नहीं देने के निर्णय पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। साथ ही आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए एक कार्ययोजना बनायी जानी पर सहमति हुई थी। अत: सभी Stakeholders के feedback के आधार पर किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाओं को संकलित किया गया है। इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों के साथ चर्चा की जाएगी।	**<u>भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कार्य बिंदु :</u>** माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड (डा. गणेश उपाध्याय बनाम यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया एवं अन्य) के आदेशानुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी हितधारकों से प्राप्त सूचना एवं सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में 27 अगस्त, 2018 को आयोजित बैठक में हुई चर्चा के आधार पर उत्तराखंड राज्य में किसानों के कल्याण हेतु सभी योजनाओं को संकलित कर कृषि विभाग, उत्तराखंड सरकार को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पत्र दिनांकित 27 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रेषित की गयी। इन सभी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु कृषि विभाग, उत्तराखंड सरकार से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे इस संबंध में कोई और योजना / जानकारी, यदि हो तो उसे अद्यतन करते हुए यह सूचना आम जनता की जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं। किसानों के कल्याण के लिए किए जाने वाले उपाय एक सतत और विकासशील प्रक्रिया है, जिसके प्रभावी क्रियान्वयन के मूल्यांकन की प्रक्रिया गतिमान है।
3.	**<u>नाबार्ड से संबंधित कार्य बिंदु :</u>** कृषि क्षेत्र के सावधि ऋण के वार्षिक लक्ष्य **₹** 3643.46 करोड़ के सापेक्ष नाबार्ड द्वारा Area Development Scheme के तहत प्रेषित डेयरी, मत्स्य पालन एवं पॉल्ट्री के लिए **₹** 92.78 करोड़ की योजना में वृद्धि की आवश्कता है तथा कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए क्षेत्रवार Potential Beneficiaries की सूची उपलब्ध करायी जानी चाहिए, जिससे कि वित्तपोषण में गति लायी जा सके।	**<u>नाबार्ड से संबंधित कार्य बिंदु :</u>** कृषि क्षेत्र के सावधि ऋण के वार्षिक लक्ष्य **₹ 3643.46 करोड़** के सापेक्ष **65,216** कृषकों को **₹ 1519.17 करोड़** के ऋण वितरित करते हुए **44%** की प्रगति दर्ज की गयी है।
4.	**<u>बैंकों से संबंधित कार्य बिंदु :</u>** **क)** संबंधित बैंकों द्वारा निम्नानुसार लम्बित वी.-सैट दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक स्थापित किए जाने हैं ।	**<u>बैंकों से संबंधित कार्य बिंदु :</u>** **क)** दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक संबंधित बैंकों द्वारा लम्बित वी.-सैट स्थापित किए जाने की स्थिति निम्नवत है।

बैंक	वी.-सैट स्थापित किए जाने वाले अवशेष एस.एस.ए. की संख्या
भारतीय स्टेट बैंक	78
पंजाब नेशनल बैंक	16
बैंक ऑफ बड़ौदा	03
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	01
इण्डियन ओवरसीज बैंक	01
बैंक ऑफ इण्डिया	03
उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	06
कुल	**108**

ख) चयनित **2149** क्लस्टर / एस.एस.ए. में से लम्बित **513** एस.एस.ए. में बी.सी. / सी.एस.पी. की नियुक्ति निम्न बैंकों द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक की जानी है।

भारतीय स्टेट बैंक - 355, पंजाब नेशनल बैंक - 94, बैंक ऑफ बडौदा - 15, नैनीताल बैंक - 11, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक - 08, कॉरपोरेशन बैंक - 07, बैंक ऑफ इण्डिया - 05, ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स - 04, पंजाब एण्ड सिंध बैंक - 04, यूको बैंक - 03, इण्डियन ओवरसीज बैंक - 02, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया - 01, केनरा बैंक - 01, इलाहाबाद बैंक - 01, विजया बैंक - 01 एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र - 01

ग) समस्त बैंक वित्तीय वर्ष 2018-19 में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत उन्हें आबंटित लक्ष्यों के सापेक्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तृतीय त्रैमास हेतु निर्धारित मानक **65%** की Sector-wise प्राप्ति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। विशेष रुप से कृषि क्षेत्र में फसली ऋण एवं सावधि ऋण के क्षेत्र में सभी बैंक दिसम्बर, 2018 तक ए.सी.पी. के लक्ष्य के 65% प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक,

बैंक	अवशेष **SSAs** जहाँ वी.-सैट अभी लम्बित है
एस.बी.आई.	45
पी.एन.बी.	16
बी.ओ.बी.	02
यूनियन बैंक	01
आई.ओ.बी.	0
बी.ओ.आई.	03
यू.जी.बी.	03
कुल	**70**

(38 प्रगति वाले एस.एस.ए. में अधिकतम स्थानों पर वैकल्पिक कनेक्टिविटी उपलब्ध होना सूचित किया गया है।)

ख) पिछले त्रैमास तक **513** लम्बित एस.एस.ए. के सापेक्ष दिसम्बर, 2018 त्रैमास में **151** एस.एस.ए. को बैंकिंग सुविधा से जोड़े जाने की पुष्टि बैंकों द्वारा की गयी है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक - 90, पंजाब नेशनल बैंक - 46, बैंक ऑफ बडौदा - 01, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक - 05, ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स - 04, यूको बैंक - 03, पंजाब एण्ड सिंध बैंक - 01 एवं विजया बैंक - 01 द्वारा एस.एस.ए. में बैंकिंग सुविधा प्रदान की गयी हैं।

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रेषित नवीन सूची में से 28 एस.एस.ए. को शाखाओं द्वारा बैंकिंग सुविधा प्रदान करना सूचित किया गया है, जिसके संदर्भ में पंजाब नेशनल बैंक कृपया अपनी संबंधित शाखा का नाम तथा एस.एस.ए. से शाखा की दूरी 5 किलोमीटर की परिधि में है, की पुष्टि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करें, जिससे कि सूचना को इस विषयक पोर्टल पर अपडेट किया जा सके।

ग) वित्तीय वर्ष 2018-19 की तृतीय तिमाही की समाप्ति पर वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य **₹ 20,025 करोड़** के सापेक्ष **₹ 12071.91 करोड़** की प्राप्ति दर्ज की गयी है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के तृतीय तिमाही के मानक **65%** के सापेक्ष **60%** है।

	सहकारी बैंक एवं कम प्रगति वाले बैंक इस क्षेत्र में विशेष कार्यनीति के तहत लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।	
	घ) ग्रामीण बैंक शाखाओं द्वारा प्रतिमाह एक वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन अवश्य किया जाना है तथा वित्तीय साक्षरता शिविरों में प्रगति करते हुए इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2018 त्रैमास तक कुल 3600 कैम्प आयोजित किए जाने हैं।	**घ)** इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2018 त्रैमास तक प्रतिमाह प्रति ग्रामीण शाखा के आधार पर कुल 3600 वित्तीय साक्षरता कैम्प के सापेक्ष बैंकों द्वारा **7,161** कैम्प आयोजित किए गए हैं।
	ङ) स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते खोले जाने एवं ऋण संबंधित चेक लिस्ट ग्राम्य विकास विभाग को उपलब्ध कराएंगे।	**ङ)** स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते खोले जाने एवं ऋण संबंधित चेक लिस्ट ग्राम्य विकास विभाग को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है।
	च) बैंकों द्वारा पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत वितरित ऋणों के सापेक्ष अनुदान राशि को ऑन-लाइन पोर्टल पर अतिशीघ्र क्लेम कर लिया जाए।	**च)** वर्तमान में पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत मार्जिन मनी वितरण के लक्ष्य **₹ 29.75 करोड़** के सापेक्ष **₹ 29.06 करोड़** की प्राप्ति बैंकों द्वारा कर ली गयी है एवं **₹ 1.42 करोड़** के मार्जिन मनी दावा राशि पोर्टल पर क्लेम किया गया है। अत: बैंकों द्वारा उत्तराखंड राज्य हेतु निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति कर ली गयी है।
	छ) सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं में, योजना के सम्मुख अंकित लम्बित आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण संबंधित बैंक द्वारा किया जाए :	**छ)** सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत निम्नांकित लम्बित आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण करने हेतु बैंक नियंत्रकों को निर्देशित कर दिया गया है।
	योजना / **लम्बित ऋण आवेदन पत्र** प्रधानमंत्री आवास योजना / 352 एन.आर.एल.एम. / 866 पी.एम.ई.जी.पी. / 405 एन.यू.एल.एम. / 542 स्पेशल कम्पोनेंट प्लान / 434 वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना / 73	**योजना** / **लम्बित ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण की स्थिति (दिसम्बर, 2018 त्रैमास के नए आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए)** पी.एम.ए.वाई. / 138 एन.आर.एल.एम. / 1540 पी.एम.ई.जी.पी. / 408 एन.यू.एल.एम. / 442 एस.सी.पी. / 518 वी.सी.एस.जी.पी.एस.वाई. / 115
	ज) सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति हेतु बैंक एक रणनीति के तहत उन्हें प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों के निपटान हेतु विशेष प्रयास करें।	**ज)** दिसम्बर, 2018 त्रैमास में सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं में बैंकों की उपलब्धि निम्नवत है :

योजना	लक्ष्य	उपलब्धि
पी.एम.ए.वाई.	2000	1554
एन.आर.एल.एम.	5641	1725
पी.एम.ई.जी.पी.	1190	1435
एन.यू.एल.एम.	1182	744
एस.सी.पी.	2013	1046
वी.सी.एस.जी.पी.एस.वाई.	400	115

झ) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टैण्ड अप इण्डिया के अंतर्गत कम प्रगति वाले बैंक विशेष कार्ययोजना के तहत अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे।

झ) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वार्षिक लक्ष्य ₹ **1924.85 करोड़** के सापेक्ष दिसम्बर, 2018 त्रैमास मे **कुल** ₹ **1448.62 करोड़** के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

दिसम्बर, 2018 त्रैमास में स्टैण्ड अप इण्डिया के अंतर्गत **301** ऋण आवेदन पत्रों के सापेक्ष कुल **₹ 68.92 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं।

ञ) केंद्र सरकार की फ्लैगशिप सामाजिक योजनाओं यथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के लाभार्थी बढ़ाने के लिए वित्तीय साक्षरता कैम्प व अन्य माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए समस्त बैंक अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों को योजना के अंतर्गत कवर करना सुनिश्चित करें।

ञ) केंद्र सरकार की फ्लैगशिप सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत दिसम्बर, 2018 त्रैमास में निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है।

योजना	अक्टूबर से दिसम्बर,2018 तक प्रगति	आच्छादित लाभार्थियों की संख्या
पी.एम.एस.बी.वाई.	45,359	13,54,483
पी.एम.जे.जे.बी.वाई.	5,548	3,84,584
अटल पेंशन योजना	21,189	1,22,389

ट) बैंकों द्वारा डिजिटल बैंकिंग की प्रगति रिपोर्ट मासिक आधार पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित की जाए, जिससे माहवार प्रगति की समीक्षा की जा सके। डिजीटल लेन-देन की राशि को और अधिक बढ़ाए जाने के लिए सभी बैंक प्रयास करें।

ट) डिजीटल बैंकिंग की माहवार प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के आधार पर दिसम्बर, 2018 तक ट्रान्जेक्शन एवं लेन-देन की राशि का विवरण निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

कुल ट्रान्जेक्शन संख्या	ट्रानजेक्शन धनराशि
9,91,44,125	7,57,755.30

ठ) यस बैंक द्वारा कृषि सावधि ऋण की प्रगति, गतिविधियों के अनुरुप राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध करायी जानी है।

ठ) यस बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना निम्नवत है :

Agri. Sector	No. of A/Cs	Disbursed Amt. (In lacs)
Allied Activities	2070	582.35
Food Processing	28	10314.40
Plantation	08	233.76

Poultry	03	33.37
Seeds	04	374.17
Total	**2113**	**11538.15**

5\. **<u>अग्रणी जिला प्रबंधकों से संबंधित कार्य बिंदु :</u>**

क) डी.एल.आर.सी. की बैठक में हटाए गए 22 गाँवों में से शेष 11 गाँवों की स्थिति का पुन: अवलोकन करने के पश्चात समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय / डी.एल.आर.सी. की बैठक में रखा जाए व यदि पूर्व सूचित स्थिति में कोई परिवर्तन हो तो तदनुसार निर्णय लिया जाए। साथ ही जिला प्रशासन से इस विषयक पुष्टि पत्र भी प्राप्त किया जाए। इस विषयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के पत्रांक प्रशा.का./एस.एल.बी.सी. / दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें।

ख) समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत अपने जिले में जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स कमेटी के द्वारा बैंक शाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा योजनांतर्गत जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स कमेटी के द्वारा प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों की प्रगति रिपोर्ट राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को करना सुनिश्चित करेंगे।

ग) निम्न **जिलों** का ऋण-जमा अनुपात **सितम्बर, 2018** त्रैमास की समाप्ति पर **40 प्रतिशत** से कम रहा है।

जिला	**सितम्बर, 2018**	**जिला**	**सितम्बर, 2018**
अल्मोड़ा	23%	रुद्रप्रयाग	25%
पौड़ी	23%	बागेश्वर	27%
टिहरी	38%		

संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक, ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने विषयक उप-समिति की बैठक में रेखीय विभागों, बैंकों एवं नाबार्ड के साथ विभिन्न गतिविधियों जैसे NRLM, SHG, FPO, Cold Storage, DEDS हेतु ऋण वितरण की कार्ययोजना बनाएं।

<u>अग्रणी जिला प्रबंधकों से संबंधित कार्य बिंदु :</u>

क) माननीय वित्त मंत्री उत्तराखंड सरकार के निर्देशानुसार 22 गाँवों में से 11 गांवों को जिला प्रशासन द्वारा डी.एल.आर.सी. की बैठक में अनुमोदित होने के आधार पर exclude करने हेतु सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी। शेष 11 गाँवों को नियमानुसार डी.एल.आर.सी. में पुन: पुष्टि करने हेतु निर्देशित था, जिसके लिए संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित कर दिया गया है। इस संबंध में सूचना प्रतीक्षित है।

ख) दिसम्बर, 2018 त्रैमास में योजनांतर्गत जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स कमेटी द्वारा बैंकों को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों की प्रगति निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

प्रेषित आवेदन पत्र	**स्वीकृत आवेदन पत्र**	**स्वीकृत ऋण राशि**
328	86	6.67

ग) निम्न जिलों का ऋण-जमा अनुपात दिसम्बर, 2018 त्रैमास की समाप्ति पर 40 प्रतिशत से कम रहा है।

जिला	**दिसम्बर, 2018**
अल्मोड़ा	25%
पौड़ी	24%
टिहरी	38%
रुद्रप्रयाग	25%
बागेश्वर	28%

<table>
<tr>
<td></td>
<td>घ) सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं में, योजना के सम्मुख अंकित लम्बित आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण संबंधित बैंक शाखा द्वारा करवाना सुनिश्चित करेंगे।
<table>
<tr><th>योजना</th><th>लम्बित
ऋण आवेदन पत्र</th></tr>
<tr><td>प्रधानमंत्री आवास योजना</td><td>352</td></tr>
<tr><td>एन.आर.एल.एम.</td><td>866</td></tr>
<tr><td>पी.एम.ई.जी.पी.</td><td>405</td></tr>
<tr><td>एन.यू.एल.एम.</td><td>542</td></tr>
<tr><td>स्पेशल कम्पोनेंट प्लान</td><td>434</td></tr>
<tr><td>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</td><td>73</td></tr>
</table>
</td>
<td>घ) सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु अपेक्षित प्रयास कर ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण कराया गया है।</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>सभी बैंक नियंत्रक, 31 दिसम्बर, 2018 की त्रैमासिक एस.एल.बी.सी. विवरणी 1-48 पूर्णत: जाँच करने के उपरांत एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट www.slbcuttarakhand.com पर सही एवं वास्तविक आँकड़े, दिनांक 15 जनवरी, 2019 तक ऑन-लाइन प्रेषित करें।
(कार्रवाई - सभी बैंक)</td>
<td>बैंकों द्वारा एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट पर ऑन-लाइन डाटा 20 जनवरी, 2019 तक प्रेषित किए गए।</td>
</tr>
</table>

****